13

विधेयक तथा ग्राहक परामर्श

विषयगत अध्याय	पाठ्यक्रम अध्ययन परिणाम
ए.सरकार की भूमिका	13.2
बी. प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	13.3
सी. आई.आर.डी.ए. तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य	13.1
डी. आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों की लाइसेंसीकरण प्रक्रिया) विनियम 2000	13.1

सीखने के लक्ष्य

इस अध्याय के अध्ययन के बाद आपः

- बीमा उद्योग के विकास को बढावा देने के लिए भारत सरकार की भूमिका को समझा पाएंगे;
- बीमा उद्योग में विभिन्न भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे;
- बीमा नियामक के रूप में आई.आर.डी.ए. के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य समझा पाएंगे;
- आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों की लाइसेंस प्रक्रिया) विनियम 2000 की प्रमुख विशेषताएं समझा पाएंगे.

परिचय

अपने अध्ययन के दौरान हम बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(आई.आर.डी.ए) के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं तथा पूर्व के अध्याय में इस बात को बताया गया था कि किस प्रकार इसे बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा स्थापित किया गया था।हमें ये पता है कि आई.आर.डी.ए भारत की एक बीमा विनियामक है तथा इसकी स्थापना इस लक्ष्य के लिये की गयी थी कि इसे पॉलिसीधारकों के हितों को सुरक्षित करना है तथा बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि, विनियमितीकरण तथा प्रोत्साहन सुनिश्चित करना था. इस अध्याय में हम आई.आर.डी.ए को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसके कर्तव्यों, कार्य तथा इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देगा, जिसमें बीमा एजेंटों को लाइसेंस जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी मामले भी शामिल हैं।

भारत में बीमा के प्रचार तथा प्रसार के लिए भारत सरकार तथा अन्य प्रमुख संस्थाओं की भूमिका के बारे में सीखना शुरु करेंगे।

मुख्य शब्दावलियां			
इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दों तथा सिद्धांतों की व्याख्या शामिल है:			
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफ.डी.आई.)	जीवन बीमा परिषद(एल. आई.सी.)	भारतीय बीमांकन संस्थान (आई. ए.आई.)
भारतीय बीमा ब्रोकर संगठन(आई.बी.ए.आई)	भारतीय बीमा संस्थान(आई.आई.आई.)	शुल्क सलाहकार समिति(टी.ए.सी.)	शुल्कनिर्धारण मुक्तिकरण
आई.आर.डी.ए. (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000	लाइसेंस का निरस्तीकरण	व्यावहारिक परीक्षण	लाइसेंस जारी करना
आचार संहिता	लाइसेंस की प्रतिलिपि		

ए.सरकार की भूमिका

विधि के अंतिम स्त्रोत के रूप में भारत में बीमा उद्योग के विनियमन में सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसका यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उद्योग का उचित रूप से विनियमन हो तथा समय–समय पर पूरे भारत में बीमा के प्रसार को बढावा मिले।

ए1. आई.आर.डी.ए. का अतिक्रमण करने का केन्द्र सरकार का अधिकार

आई.आर.डी.ए. अधिनियम 1999 भारत सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि, एक अधिसूचना द्वारा वह आई.आर.डी.ए.के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। यदि सरकार के विचार में आई.आर.डी.ए. अपने कार्यों और कतर्व्यों को निभा पाने में असमर्थ है(जिनके कारण आई.आर.डी.ए. नियंत्रण के बाहर हैं), या इसके द्वारा अपने कतर्व्यों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन में बार–बार चूक हुई है या परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई करना जनता के हित में है, तो सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है।

ए2. आई.आर.डी.ए. के साथ केन्द्र सरकार के संबंध

आई.आर.डी.ए. अधिनियम, आई.आर.डी.ए. के संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका को सुनिश्चित करता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- संसद द्वारा कानून के माध्यम से जरूरी विनियमन के आधार पर आई.आर.डी.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आई.आर.डी.ए. अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में उसका इस्तेमाल कर सके।
- आई.आर.डी.ए. का वार्षिक खाता भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा अंकेषित किया जाना तथा उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह लेखा विवरण केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत किये जाते हैं।
- तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त अन्य नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार आई.आर.डी.ए. को दिशानिर्देश जारी कर सकती है। केन्द्र सरकार समय–समय पर इस तरह के लिखित दिशानिर्देश जारी कर सकती है तथा आई.आर.डी.ए. इन्हें मानने के लिए बाध्य है।
- आई.आर.डी.ए. द्वारा केन्द्र सरकार की मांग पर बीमा उद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए वर्तमान कार्यक्रम या किसी प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित, रिटर्न, तथा विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।
- केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह एक अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियम बना सकती है।

चित्र 13.1 आई.आर.डी.ए. के साथ केन्द्र सरकार के संबंध

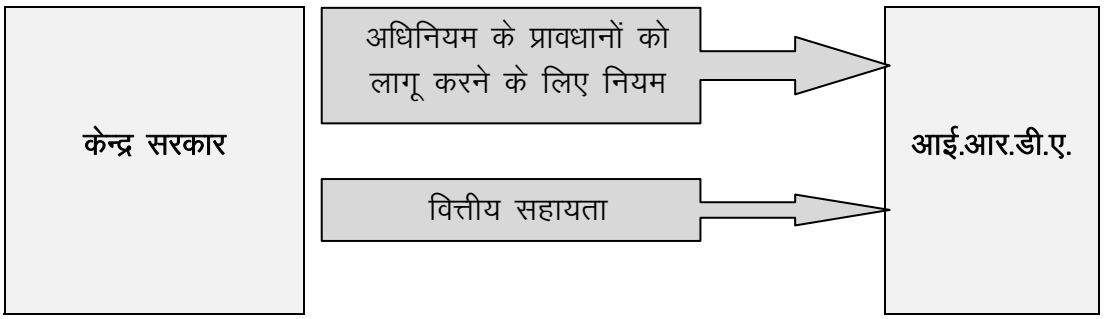

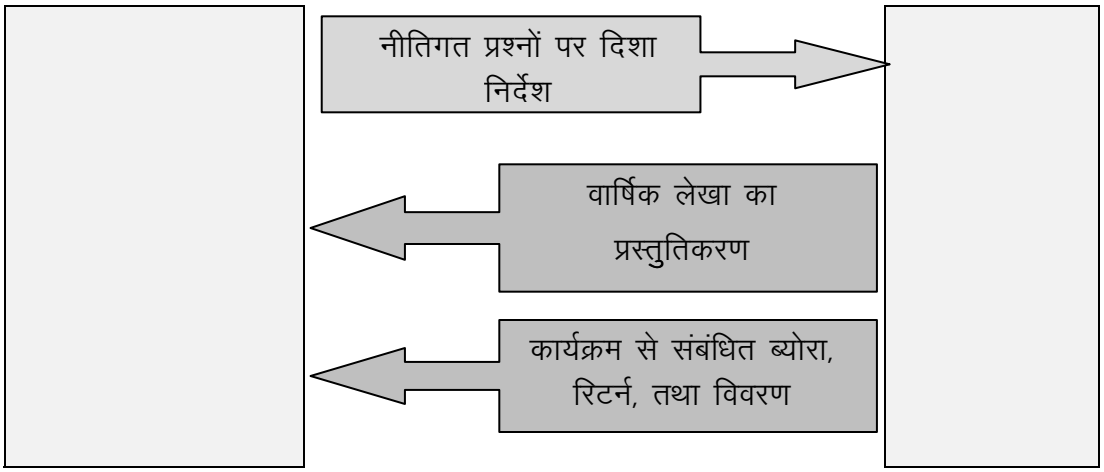

ए3. उद्योग के संवर्धन में सरकार की भूमिका

केंद्र सरकार बीमा उद्योग की वृद्धि तथा संवर्धन के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को लागू करती है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है वह हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की स्वीकृति, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) कहते हैं।

ए3ए. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)

वर्ष 2000 के पहले जीवन बीमा निगम(एल.आई.सी) के पास भारत में बीमा व्यवसाय करने का विशेषाधिकार था।

बीमा एक बड़ी पूंजी आधारित व्यवसाय है जिसकी लाभ–हानि की स्थिति विशाल होती है तथा इसके लिए पर्याप्त विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है। जब सरकार बीमा उद्योग में निजी भागीदारी का प्रवेश प्रारम्भ कर रही थी तो संभावित भागीदार न तो बीमा व्यवसाय के लिए तकनीकी रूप से विशेषज्ञता रखते थे और न जरूरी पूंजी ही। इस कारण बीमा बाजार में निजी क्षेत्र की निर्विघ्न भागीदारी तथा बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी. आई.) की अनुमति दी।

ध्यान दें

यह पाठ्यपुस्तक लिखते समय, वर्तमान एफ.डी.आई. कानून के अनुसार स्वदेशी बीमा कंपनियों को विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गयी है, जिसमें विदेशी भागीदार 26 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रख सकता है।

वर्ष 2000 में जब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था तब देश में बीमा की पैठ काफी बेहतर हो गयी है। नये और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों की उपलब्धता तथा अपेक्षाकृत कम प्रीमियम पर मिलनें में ग्राहकों को काफी लाभ हुआ है। इस वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए सरकार बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढाने का प्रस्ताव लाना चाहती है। वर्तमान में यह बिल संसद में मंजूरी के लिए लंबित है।इसके एक बार स्वीकार हो जाने पर विदेशी भागीदार अपनी भागीदारी को स्थानीय निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में 49 प्रतिशत तक बढा पाएंगे। इस क्षेत्र में आप अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहें।

संस्तुत गतिविधियां

निजी जीवन बीमा कंपनियों में से किन्हीं पांच की एक सूची बनाए और इंटरनेट या कंपनी उत्पाद ब्रोचर द्वारा उनकी भागीदारी को समझने का प्रयास करें। ये जानें कि स्थानीय भागीदारों तथा विदेशी भागीदारों की भागीदारी कितनी है।

ए3बी. आयकर प्रोत्साहन

हमने पूर्व अध्यायों में देखा है कि किस प्रकार सरकार जीवन बीमा में निवेश पर लोगों को कर लाभ प्रदान करती है।इसने भारत में बीमा के विस्तार में काफी मदद की है।

प्रश्न 13.1

यदि सरकार के विचार से आई.आर.डी.ए. अपने कार्य निष्पादन में अक्षम साबित हो रहा हो, तो वो क्या कर सकती है?

बी प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

इस भाग में हम भारतीय बीमा उद्योग की कुछ प्रमुख संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

बी 1 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(आई.आर.डी.ए)

हमने अध्याय 1 में देखा है कि वर्ष 1999 में मल्होत्रा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर एक स्वायत निकाय के रूप में बीमा उद्योग के विकास तथा विनियमन के लिये बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए) का गठन, किया गया। आई.आर.डी.ए का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को बढावा देना है ताकि प्रतिस्पर्धी प्रीमियम व अधिक ग्राहक विकल्पों के द्वारा ग्राहक को संतुष्टि प्रदान की जा सके तथा बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा

सुनिश्चित की जा सके। भारत में बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि को सुनिश्चित, विनियमित तथा प्रोत्साहित करना ही आई.आर.डी.ए, का ध्येय है।

ध्यान रखें
आई.आर.डी.ए की एक स्वायत्त निकाय के रूप में अप्रैल 2000 में स्थापना हुई।

आई.आर.डी.ए. के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों के बारे में हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे।

बी 2 जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद का गठन बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 ए के अंतर्गत किया गया था। यह एक कार्य कारणी समिति तथा अनेक उप–समितियों के माध्यम से कार्य करती है तथा सभी जीवन बीमा कंपनियां इसके सदस्य है। यह जनता, सरकार तथा आई. आर.डी.ए. के साथ उद्योग की ओर से सभी चर्चाओं का संचालन तथा समन्वय करती है। सारांश में ये जीवन बीमा उद्योग का दर्पण है।

जीवन बीमा परिषद का मुख्य उद्देश्य, भारतीय जीवन बीमा उद्योग को लोगों की समृद्धि की यात्रा में सहायता करने के लिए एक जीवंत, विश्वसनीय तथा लाभदायक सेवा प्रदान करने के अभियान में महत्वपूर्ण तथा पूरक भूमिका निभाना है।

जीवन बीमा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैः

- नैतिकता तथा परिचालन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना
- उद्योग की सकारात्मक छवि बनाना तथा ग्राहक के विश्वास की में वृद्धि
- जीवन बीमा की भूमिका तथा लाभों के बारे में जागरूकता को बढावा देना
- सरकार, विधि निर्माताओं तथा विनियामकों का संरचित तथा सक्रिय विचार विमर्श का आयोजन.
- जीवन बीमा में शोध तथा क्षेत्र के विकास में योगदान
- वित्तीय सेवा क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ चर्चा हेतु मंच के रूप में
- बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाना
- आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सहायता तथा दिशानिर्देश प्रदान करना
- वैश्विक बाजार तथा भारतीय जीवन बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना

बी 3 साधारण बीमा परिषद

साधारण बीमा परिषद, भारत में साधारण(गैर–जीवन) बीमा कंपनियों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद सामूहिक हितों संबंधी मामलों के बारे में विचार विमर्श करती है, नीति निर्धारण से संबंधित चर्चाओं में भाग लेती है तथा बीमा उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि के उच्च मानकों की वकालत करने वाले की तरह कार्य करती है।

बी 4 भारत का बीमा ब्रोकर संगठन (IBAI)

भारत का बीमा ब्रोकर संगठन (IBAI) को आई.आर.डी.ए. द्वारा भारत के सभी लाइसेंस धारी बीमा ब्रोकरों के शीर्ष निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। आई.आर.डी.ए. द्वारा बीमा ब्रोकरों को भारत के बाजार में ऐसे व्यवसायियों के रूप में प्रस्तुत करता है जो बीमा खरीदारों के हितों का प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रदान करता है। बीमा ब्रोकर, बीमा खरीदार का प्रतिनिधित्व करता है, न कि बीमा कंपनी का, हलांकि बीमा ब्रोकर को बीमा कंपनी से पारिश्रमिक मिलता है।

ध्यान रखें

बीमा ब्रोकर के माध्यम से बीमा लेने पर पॉलिसी धारक को कोई अतिरिक्ति लागत नही आती है।

बी 5 भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI)

भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI)(पूर्व में भारतीय बीमांकन सोसाइटी– ASI) की स्थापना 1944 में गठित अंतर्राष्ट्रीय बीमांकन संगठन के सदस्य के रूप में 1979 में हुई थी।

ध्यान रखें

बीमांकक एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो गणितीय तथा सांख्यिकीय पद्धतियों से बीमा से जुड़े जोखिमों का आंकलन करता हैः उदाहरण के लिए, अध्याय 4 में हमने देखा कि कैसे बीमांककों ने मृत्युदर तालिकाएं बनाई जिनका उपयोग जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। बीमांकक को भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI) का सदस्य होना चाहिए।

आई.ए.आई.को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ शुरु किया गया थाः

- भारत में बीमांकन व्यवसाय के विकास के लिए;
- व्यवसाय के सदस्यों को विचार विमर्श के अवसर प्रदान करने के लिए;
- संबंधित विषयों पर शोध तथा व्याख्यान की व्यवस्था करने के लिए; तथा
- बीमांकक परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे लोगों को सुविधाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए

बी 6 शुल्क सलाहकार समिति (TAC)

शुल्क सलाहकार समिति (TAC) को बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी नियम व शर्तों, लाभों तथा दरों का विनियमन और नियंत्रण करने के लिये किया गया था। परिणामतः, अतीत में अनेक बीमा उत्पादों का मूल्य TAC के द्वारा सुझाए गये मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। TAC को IRDA के गैर–जीवन बीमा उद्योग के आंकड़ों के प्रबंधक के रूप में देखा जाता है।

IRDA क्रमशः, दरों के शुल्कनिर्धारण मुक्तिकरण को लागू करने की प्रक्रिया में है; गैर–जीवन बीमा की कुछ श्रेणियों के लिए यह पूरा किया जा चुका है लेकिन अन्य के लिए नहीं।

ध्यान रखें

शुल्कदर मुक्तिकरण बीमा को मूल्य निर्धारण से मुक्त करने की प्रक्रिया है ताकि बीमाकर्ता अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण अपने जोखिम आंकलन तथा बाजार के आधार पर कर सकें, न कि अपने ऊपर थोपे गये मूल्यों के आधार पर।

अब जबकि बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण TAC के द्वारा निर्धारित नही किया जाता, TAC के द्वारा मानक पॉलिसी शब्दावली को अभी भी बीमाकर्ता प्रयोग करते हैं।

बी 7 भारतीय बीमा संस्थान (III)

भारतीय बीमा संस्थान (III)को 1955 में बीमा संस्थानों के फेडरेशन के रूप में स्थापित किया गया था, जो 1987 में III बन गया। इसका मूल प्रयोजन भारत में बीमा शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है तथा यह बीमा उद्योग के सभी घटकों से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें IRDA तथा सरकारी व निजी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।

संस्थान विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएं संपन्न करता है तथा कनाडा, अमरीका में स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल कर कार्य करता है जिसमें चार्टड बीमा संस्थान भी शामिल हैं (नीचे देखें)।

बी 8 भारतीय बीमा अकादमी (NIA), पुणे

1980 में NIA का गठन सरकार द्वारा LIC, GIC चार साधारण बीमा कर्ता PSU के सहयोग से किया गया था। NIA, पुणे का मुख्य उद्देश्य एक बीमा प्रशिक्षण संरचना का निर्माण, कार्यान्वयन तथा परिचालन करना है, जिसमें प्रतिभागी अधिकारियों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों को शामिल करके सीखने, शोध, शिक्षा, सलाह, प्रकाशन तथा संचार को संभव बनाना शामिल है। यह बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा, सलाह, प्रकाशन तथा नेतृत्व विकास के लिए शीर्ष संस्थान है। NIA, पुणे ने ज्ञानपरक विकास कार्यक्रमों द्वारा विशाल संख्या में योग्य बीमा कार्यकारी विकसित किए हैं।

बी 9 चार्टड बीमा संस्थान(CII)

चार्टड बीमा संस्थान(CII) को यू.के. में 1912 में रॉयल चार्टर के 150 से अधिक देशों के 95,000 सदस्यों के साथ द्वारा बनाया गया था, जो बीमा तथा व्यावसायिक वित्तीय सेवा की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। CII सतत रूप से वैश्विक व्यावसायिक मानकों को अपनाने के लिए कृत– संकल्प है तथा स्थानीय विनियामकों, शैक्षिक भागीदारों तथा औद्योगिक संस्थाओं के साथ काम करती है ताकि बीमा तथा वित्त सेवाओं के कर्मचारियों तथा एजेन्टों द्वारा स्थानीय बाजार में काम करने के तरीके में व्यावसायिक, कौशल तथा व्यवहार को बेहतर किया जा सके।

बी 10 बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान (IIRM), हैदराबाद

बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान (IIRM), हैदराबाद एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तथा शोध संस्थान है। संस्थान को आंध्र प्रदेश सरकार तथा IRDA द्वारा, वर्ष 2002 में संयुक्त रूप से IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत, बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा(रेग्यूलर तथा दूरस्थ शिक्षा) कोर्स के संचालन हेतु स्थापित किया गया था।

IIRM का लक्ष्य,बीमा क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में उभरते हुए बाजारों के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ती करना है।

प्रश्न 13.2
जीवन बीमा परिषद के क्या कार्य हैं?

सी.1 IRDA तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य

IRDA के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14 के द्वारा निर्धारित है। IRDA अधिनियम, IRDA को इस बात की शक्तियां प्रदान करता है:

ए)	आवेदकों(कंपनियों) को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना तथा ऐसे पंजीकरणों का नवीनीकरण, परिवर्तन, वापसी, निलंबन तथा निरस्त करना;
बी)	पॉलिसी समनुदेशन, नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावों का निबटान, पॉलिसी का समर्पण मूल्य तथा बीमा अनुबंध के अन्य नियम व शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
सी)	मध्यस्थों तथा एजेंटों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा आचार संहिता, एवं आवश्यक योग्यता निर्धारित करना;
डी)	हानि आंकलनकर्ताओं तथा सर्वेक्षकों के लिए आचार संहिता का निर्धारण;
ई)	बीमा व्यवसाय के क्रिया कलापों में कुशलता को बढावा देना;
एफ)	बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित तथा नियंत्रित करना;
जी)	प्रीमियम आय के उस प्रतिशत को निर्धारित करना जो बीमा कंपनियाँ योजनाओं के प्रोत्साहन पर खर्च कर सकती हैं तथा खंड(एफ) में उल्लिखित संस्थाओं पर नियंत्रण करना;
एच)	इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए फीस तथा शुल्क निर्धारण;
आई)	बीमा कंपनियों तथा बीमा व्यवसाय से जुड़ी अन्य संस्थाओं से सूचनाएं प्राप्त करना , उनका निरीक्षण, जांच, तथा ऑडिट करना;
जे)	साधारण बीमा व्यवसाय के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी दर, लाभ, नियम व शर्तों को नियंत्रित तथा विनियमित करना जो बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत, शुल्क निर्धारण सलाहकार समिति (TAC) द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नही होते हैं;
के)	यह निर्धारित करना कि बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों द्वारा लेखा पुस्तकों को किस प्रकार तैयार करना है तथा लेखा विवरणों को किस प्रकार प्रस्तुत करना है;
एल)	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमितीकरण;
एम)	प्रत्येक बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित विधिक साल्वेंसीं की सीमा का ध्यान रखना तथा विनियमित करना(नोटः साल्वेंसी की सीमा वह राशि है जिससे बीमा कंपनी की आस्तियाँ उसकी देयताओं से अधिक होनी चाहिये);

एन)	बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों के बीच पैदा हुए विवादों पर निर्णय देना;
ओ)	शुल्क सलाहकार समिति (TAC) के कार्यों में सहायता करना(अनुच्छेद बी6 देखें);
पी)	बीमा कंपनियों द्वारा, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले जीवन बीमा तथा साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्धारण; तथा
क्यू)	ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जिनका निर्धारण किया जा सकता है.

सी.2 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भारत का केन्द्रीय बैंक है इसे 1 अप्रैल 1935 को **रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934** के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। RBI भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियामक, सुपरवाइजर तथा मौद्रिक प्राधिकरण है। यह बैंकिंग गतिविधियों को दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैकिंग तथा वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। RBI देश की मौद्रिक नीति निर्धारित तथा लागू करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य स्थिरता बनी रहे।

सी.3 भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (SEBI)

SEBI को भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत 12 अप्रैल 1992 को गठित किया गया था। SEBI भारत के प्रतिभूति बाजार का नियंत्रक है तथा प्रतिभूति बाजारों में सभी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। ये समय समय पर उपयुक्त माध्यमों से प्रतिभूति बाजार के विकास तथा संवर्धन के लिए भी जिम्मेदार है।

प्रश्न 13.3
IRDA के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

डी. IRDA(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000

जुलाई 2000 में IRDA ने **बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम** जारी किया।यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिये क्योंकि यह बीमा एजेन्टों को लाइसेंस जारी करने तथा नवीनीकरण के मामले से संबंधित है।

डी.1.एजेंट बनना

आपको एक जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, तथा कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा.

एक एजेन्ट बनना

आवेदन पत्र(नियम 3) तथा फीस(नियम 7)

योग्यता(नियम 4)

व्यवहारिक प्रशिक्षण(नियम 5)

परीक्षा (नियम 6)

लाइसेंस प्राप्त एजेंट

डी.1.ए आवेदन

सबसे पहले, कोई व्यक्ति जो एक बीमा एजेंट के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, को एक निश्चित फार्मेट पर **नियम 3** के अनुसार विनिर्दिष्ट व्यक्ति को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ रु.250 का शुल्क जमा होना चाहिए, जो **नियम 7** में अधिकृत व्यक्ति को देय हो।

डी.1.बी योग्यता

आवेदक की **नियम 4** के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

यदि आवेदक किसी ऐसी जगह का निवासी हो जिसकी पिछली जनगणना के आधार पर कम से कम 5000 की जनसंख्या हो.	यदि आवेदक कहीं और रहता हो
• कम से कम 12 वीं कक्षा पास हो; या • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	• कम से कम 10 वीं कक्षा पास हो; या • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

डी.1.सी प्रायोगिक प्रशिक्षण

आवेदक को **नियम 5** के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पहली बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को किसी स्वीकृत संस्थान से जीवन बीमा व्यवसाय का कम से कम 50 घंटे(समग्र एजेंसी की स्थिति में 75 घंटे) का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए। तथापि आवेदक के पास अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता होने की स्थिति में इस व्यावहारिक प्रशिक्षण की शर्त में छूट भी दी जा सकती है(जैसा कि उप नियम 1 में निर्दिष्ट है)।

डी.1.डी परीक्षा

आवेदक को **नियम 6** के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय में भर्ती पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इस परीक्षा को भारतीय बीमा संस्थान (III) द्वारा या किसी अन्य स्वीकृत परीक्षा संस्था द्वारा संचालित किया जाता है।

डी.1.ई लाइसेंस जारी होना

विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आवेदक के संबंध में इन बातों से संतुष्ट होने पर लाइसेंस जारी कर सकता है:

- वह नियम 4 के अनुपालन में है(उपयुक्त योग्यता रखता है)
- वह नियम 5 के अनुपालन में है(प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त है)
- वह नियम 6 के अनुपालन में है(आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है)
- उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है।
- बीमा व्यवसाय तलाश करने तथा प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है; तथा
- वह पॉलिसी धारकों को जरूरी सेवाएं देने में सक्षम है।

डी.1.एफ लाइसेंस का नवीनीकरण

नियम 5(3) के अनुसार, एक लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदनकर्ता को किसी मान्य संस्थान से कम से कम 25 घंटे का जीवन बीमा व्यवसाय का प्रशिक्षण पूरा कर लेना आवश्यक है।

डी.1.जी लाइसेंस का निरस्तीकरण

विनिर्दिष्ट व्यक्ति, किसी एक बीमा एजेंट के लाइसेंस को निरस्त कर सकता है, यदि अधिनियम के अनुच्छेद 42 के उपनियम(4) में वर्णित अयोग्यताओं में से कोई विद्यमान हो। उप–अनुच्छेद में वर्णित अयोग्यताएं जो किसी एजेंट पर लागू होगीं, निम्न हैं:

- यदि वह नाबालिग है।
- यदि व्यक्ति को सक्षम न्यायिक अदालत द्वारा असंतुलित मस्तिष्क का पाया गया हो।

- यदि व्यक्ति को सक्षम न्यायिक अदालत द्वारा आपराधिक हेराफेरी, विश्वास भंग, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे अपराधों को करता हुआ या बढावा देता हुआ पाया गया हो।
  - यद्यपि, यदि ऐसे अपराध में उसको मिली सजा पूरी हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तो सजा को अयोग्यता का आधार नही माना जाएगा.
- यदि व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता या बीमित से जानते बूझते हेराफेरी, बेईमानी या अनुचित प्रतिनिधित्व करता पाया गया हो।
- यदि व्यक्ति आवश्यक योग्यता न रखता हो या नियमानुसार अधिकतम 12 महीने का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त न हो।
- व्यक्ति नें आचार–संहिता का उल्लंघन किया हो(अनुच्छेद डी2 देखिए)।

प्रश्न 13.4
नये जीवन बीमा एजेंट को कितने घंटों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता हैं?

डी.1.एच. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना

खो गये, नष्ट हो गये या फट गये लाइसेंस के स्थान पर प्राधिकरण रु.50 शुल्क ले कर डुप्लिकेट लाइसेंस जारी कर सकता है।

डी.1.जी लाइसेंस के बिना कार्य करना

यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के एक बीमा एजेंट की तरह कार्य करता है तो उसे रु.500 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

डी.2. एजेंट की आचार संहिता

लाइसेंसीकरण नियमों के साथ–साथ, विनियामक ने एक आचार संहिता भी निर्धारित की है, जिसका अनुपालन प्रत्येक बीमा एजेंट को करना होता है। इसके बारे में हम अध्याय 15 में चर्चा करेंगे।

प्रश्न 13.5
एक बीमा एजेन्ट बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है?

मुख्य बिंदु
सरकार की भूमिका
• IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह एक अध्यादेश जारी करके IRDA की शक्तियों का महत्व कम कर सकती है।

• अधिनियम, केन्द्र सरकार को समय–समय पर लिखित रूप में IRDA को निर्देश देने का अधिकार देता है, ताकि वह IRDA से तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलो के अतिरिक्त नीतियों पर सवाल कर सके।
• वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकार बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे सकती है।
• सरकार लोगो को बीमा में निवेश के लिए विभिन्न प्रकार के कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करती है।
प्रमुख भारतीय इकाइयां
• सरकार, IRDA, तथा जनता के बीच सभी चर्चाओं का जीवन बीमा परिषद (LIC), संचालन तथा समन्वय करती है।
• IBAI, IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्था है जो भारत के सभी बीमा ब्रोकरों का प्रतिनिधित्व करती है।
• भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI) का लक्ष्य भारत में बीमांकन व्यवसाय को बढावा देना है।
• साधारण बीमा के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियम व शर्तों का नियमन तथा नियंत्रण के लिए TAC गठित की गयी थी।
• भारत में बीमा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए III, का गठन किया गया था।
* CII स्थानीय बाजारों में काम कर रहे एजेंटों, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में व्यावसायिक गुणों, कौशल तथा कुशलता को बेहतर करने के लिए स्थानीय विनियामकों, शिक्षा में भागीदारों तथा औद्योगिक संस्थाओं के साथ कार्य करती है।
IRDA तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियां तथा गतिविधियाँ
*एक स्वायत्त संस्था के रूप में IRDA का गठन, बीमा उद्योग के विकास तथा विनियमन के लिए किया गया था।
* IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14 के अनुसार, इसके कर्तव्य, शक्तियों तथा कार्य निर्धारित किये गये हैं।
* बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन, प्रोत्साहन तथा सुव्यवस्थित विकास करना IRDA का कर्त्तव्य है।
IRDA(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000
• जुलाई 2000 में IRDA ने बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम जारी किया।
• एजेंट बनने के लिए आवेदक को पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तथा फीस अभिहित व्यक्ति के पास जमा करना चाहिए। आवेदक को पर्याप्त निर्धारित योग्यता तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए साथ ही उसे लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व विनिर्दिष्ट परीक्षा को पास करना चाहिए।

प्रश्न–उत्तर
यदि सरकार की राय हो कि आई.आर.डी.ए. अपने कार्यों और कतर्व्यों को निभा पाने में असमर्थ है(जिसका कारण आई.आर.डी.ए. के नियंत्रण में न हों); या उसके द्वारा कतर्व्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बार–बार चूक हुई है या परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई करना जनता के हित में है, तो सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर के आई.आर.डी.ए. के अधिकारों का अतिक्रमण सकती है। सरकार ऐसा एक अधिसूचना जारी करके कर सकती है।
13.2 जीवन बीमा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: 1.नैतिकता तथा नियंत्रण के उच्च मानकों का अनुरक्षण 2.उद्योग की सकारात्मक छवि बनाना तथा ग्राहक के विश्वास में वृद्धि 3.जीवन बीमा की भूमिका तथा लाभों के प्रति जागरूकता को बढावा देना 4.सरकार, कानून के निर्माताओं तथा विनियामकों के संरचित तथा सक्रिय विचार विमर्श का आयोजन. 5.जीवन बीमा में शोध तथा इस क्षेत्र के विकास में योगदान 6.वित्तीय सेवा क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ चर्चा के लिये मंच के रूप में 7.बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाना 8.सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता तथा दिशानिर्देश प्रदान करना 9.वैश्विक बाजार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना
13.3 IRDA के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है–प्रतिस्पर्धा को बढावा देना ताकि अधिक विकल्पों तथा कम प्रीमियम के आधार पर ग्राहक संतुष्टि को बढाया जा सके, तथा साथ ही बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
13.4 किसी नये जीवन बीमा एजेंट को 50 घंटे का प्रशिक्षण को लेना आवश्यक है, परन्तु यदि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता हो तो इसमें ढील भी दी जा सकती है।
13.5 एक जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तथा कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा। 1. एक एजेंट बनने के लिए आवेदक को पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म (विनियम 3)तथा रु. 250 की फीस (नियम 7)अभिहित व्यक्ति के पास जमा करना होगा। 2. आपकी आवश्यक योग्यता: यदि आप 5000 से अधिक जनसंख्या के क्षेत्र के निवासी हैं तो 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए, तथा यदि इससे कम जनसंख्या

क्षेत्र से हैं तो आपको कम से कम 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए(नियम 4)।

3. आपको 50 घंटे को प्रशिक्षण को लेना आवश्यक है(या इससे कम यदि आप अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता धारक हैं तो)(नियम 5)।
4. आपको जीवन बीमा व्यवसाय में भर्ती पूर्व परीक्षा पास होना चाहिए।(नियम 6)
5. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने तथा यह मान लिये जाने पर कि आपमें बीमा व्यवसाय प्राप्त करने, उसकी मांग करने तथा पॉलिसी धारकों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल है, आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

स्व–परीक्षण प्रश्न

1. एक बीमा एजेंट की न्यूनतम योग्यता क्या है?
2. IRDA की सात शक्तियां तथा कार्य क्या हैं?
3. IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है?
4. भारत में वर्तमान समय में बीमा में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा कितनी है?

उत्तर आपको अगले पृष्ठ पर मिलेंगे

स्व–परीक्षण प्रश्न के उत्तर

1.

आवेदक में विनियम 4 के अंतर्गत आवश्यक योग्यता होना जरूरी है। यदि आप 5000 से अधिक जनसंख्या (पिछली जनगणना के अनुसार) क्षेत्र के निवासी हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए, तथा यदि इससे कम जनसंख्या क्षेत्र से हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए(नियम 4)।

2.

आपके जवाब में निम्न में से सात बिंदु होने चाहिये।

IRDA की शक्तियां तथा कार्य:

1. आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, नवीनीकृत करना, परिवर्तित करना, वापस लेना, स्थगित या निरस्त करना;
2. पॉलिसी का समनुदेशन, नामांकन, बीमा योग्य हित, दावों का निबटान, समर्पण राशि, तथा पॉलिसी अनुबंध के नियम व शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
3. मध्यस्थों तथा एजेंटों के लिए वांछित योग्यताएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा आचार संहिता का निर्धारण
4. सर्वेक्षणकर्ताओं तथा हानि आंकलनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्धारित करना;

5. बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढावा देना;
6. बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों का विनियमितीकरण तथा प्रोत्साहन;
7. प्रीमियम आय के उस प्रतिशत को तय करना जो बीमा कंपनियों को योजनाओं के प्रोत्साहन पर खर्च करना है तथा खंड(एफ) में संदर्भित संस्थाओं पर नियंत्रण करना;
8. इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए फीस तथा शुल्क लगाना;
9. बीमा कंपनियों तथा बीमा व्यवसाय से जुड़ी अन्य संस्थाओं से सूचना लेना, उनका निरीक्षण तथा जांच तथा ऑडिट करना;
10. साधारण बीमा व्यवसाय के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी दर, लाभ, नियम व शर्तों को नियंत्रित तथा विनियमित करना जो बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत, शुल्क निर्धारण सलाहकार समिति (TAC) द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नही होते हैं;
11. यह निर्धारित करना कि बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों को किस प्रकार से लेखा पुस्तकों को बनाना है तथा किस प्रकार लेखा विवरण को प्रस्तुत करना है;
12. बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का नियंत्रण;
13. प्रत्येक बीमा कंपनी को निर्धारित विधिक साल्वेंसीं की सीमा का ध्यान रखना तथा विनियमित करना;
14. बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों के बीच पैदा हुए विवादों पर निर्णय देना;
15. शुल्क सलाहकार समिति (TAC) के कार्यों का पर्यवेक्षण;
16. बीमा कंपनियों द्वारा, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले जीवन बीमा तथा साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्धारण;
17. ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिनकी अनुशंसा की जाए.

3. IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार केन्द्र सरकार की भूमिका निम्नलिखित है:

- संसद द्वारा आवश्यक अनुमोदन के पश्चात आई.आर.डी.ए. को वित्तीय सहायता जारी करना, ताकि वह अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका उपयोग कर सके।
- आई.आर.डी.ए. का वार्षिक खाता भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के द्वारा अंकेषित किया जाना तथा उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदुपरान्त केंद्र सरकार के द्वारा लेखापत्रक संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत किये जाते हैं।
- तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त अन्य नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार आई.आर.डी.ए. को दिशानिर्देश जारी कर सकती है। केन्द्र सरकार समय समय पर इस प्रकार के लिखित दिशानिर्देश जारी कर सकती है तथा आई.आर.डी.ए. इन्हें मानने

के लिए बाध्य है। • समय–समय पर केन्द्रीय सरकार की माँग पर आई.आर.डी.ए. को बीमा उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु वर्तमान कार्यक्रम या किसी प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित ब्योरा, रिटर्न, तथा अन्य विवरण, प्रस्तुत करना चाहिये। • केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह एक नोटिफिकेशन के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है।
4. सरकार वर्तमान समय में बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार करती है। निजी क्षेत्र की स्थानीय कंपनियां विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकती हैं जिनमें विदेशी भागीदारी 26 प्रतिशत तक हो सकती है।